UPSI010005882026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-02, सीतापुर।

सी०एम०सी० नं०-12/2026

सी०आई०एस०-17/2026

श्रीमती रामप्यारी आदि बनाम श्रीमती कुसुम आदि।

दिनांक-03.04.2026

पत्रावली आज आदेश हेतु नियत है। धारा-5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र कागज सं०-3क पर विगत तिथि पर उभय पक्षों को सुना जा चुका है। पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

प्रार्थिनी श्रीमती रामप्यारी की ओर से प्रार्थना-पत्र 3क अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम, मय शपथ-पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अपील दिनाँक-30.05.2024 को अदम पैरवी में निरस्त हो गयी है। उक्त अपील में प्रार्थी संख्या-5 स्वयं पैरवी करता था तथा उसी मध्य विपक्षी संतोष कुमार की मृत्यु हो गयी, क्योंकि संतोष कुमार प्रार्थीगण के गाँव के नहीं थे। इस कारण उनके वारिस जल्दी ज्ञात नहीं हो सके और माह जुलाई, 2024 में प्रार्थी संख्या-4 राम प्रसाद को बैल ने दौड़ाकर गिरा दिया, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये और उनका चलना-फिरना असम्भव हो गया। चूँकि प्रार्थी संख्या-5 बड़ा पुत्र था और वही रामप्रसाद के इलाज व तीमारदारी में लग गये व लखनऊ तक इलाज कराया गया, किन्तु उसके बावजूद व्यय आदि करने के उपरान्त भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और लगभग दो माह पूर्व उनकी मृत्यु हो गयी। उसके पश्चात् प्रार्थी संख्या-5 अपने अधिवक्ता से मिला तथा संतोष कुमार के वारिसों के बारे में पता लगाया गया, जिसमें एक माह से अधिक का समय लग गया और जानकारी होने के तुरन्त बाद यह प्रार्थना-पत्र तैयार कराकर प्रस्तुत किया जा रहा है। बाजदायर प्रस्तुत करने में उपरोक्त कारण से विलम्ब हो गया। विलम्ब में प्रार्थीगण द्वारा जानबूझकर कोई गलती व लापरवाही नहीं की गयी है तथा यदि बाजदायर प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब माफ नहीं किया जाता है, तब प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी एवं वह न्याय से वंचित रह जायेगा। प्रार्थिनी/निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने की याचना की गयी है।

प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह मौखिक बहस की जा रही है कि न्यायालय द्वारा दिनाँक-30.05.2024 को उभय पक्षों की अनुपस्थिति के आधार पर निरस्त कर दिया गया था, जिसकी प्रार्थिनी को विधिवत जानकारी विलम्ब से हुई है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर गलती नहीं की गयी है।

विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना-पत्र के विरुद्ध आपत्ति 10ग इस आशय से प्रस्तुत की गयी है कि अपील के दौरान विपक्षी संतोष कुमार की मृत्यु हो गयी थी, उनके वारिसों को जानकारी नहीं हो सकी, इस कारण विलम्ब हुआ, जबकि संतोष कुमार की मृत्यु दिनाँक-28.11.2021 को गयी थी अर्थात् अपील दाखिल से करीब दो वर्ष पूर्व अर्थात् विलम्ब में लिया गया आधार असत्य है। विलम्ब प्रार्थीगण ने यह भी कथन किया गया है कि प्रार्थी संख्या-4 राम प्रसाद 2024 में गम्भीर रूप से घायल हो गये थे, जिनका इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी, परन्तु उक्त कथनों के समर्थन में भी कोई प्रपत्र प्रार्थीगण द्वारा दाखिल नहीं किये गये हैं। पुर्नस्थापना प्रार्थना-पत्र करीब दो वर्ष पश्चात् दाखिल किया गया है। विलम्ब के कारण झूठ व निराधार हैं। इसलिये विलम्ब किसी भी दशा में क्षमा योग्य नहीं है।

प्रार्थना-पत्र 3क, धारा-5 नियाद अधिनियम में प्रार्थिनी द्वारा विलम्ब का कारण यह दर्शाया गया है कि प्रार्थी संख्या-4 राम प्रसाद को बैल ने दौड़ाकर गिरा दिया, जिससे वह घायल हो गये। चूंकि प्रार्थी संख्या-5 रामप्रसाद का बड़ा पुत्र था, वही अपने पिता का इलाज कराता रहा और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी। अपील में प्रार्थी संख्या-5 स्वयं पैरवी करता था, उसको उक्त आदेश के बारे में जानकारी होने में काफी समय लग जाने के कारण अपील योजन में विलम्ब हुआ है।

माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अनेक निर्णय विधियों में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक मामला यथा संभव गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया जाना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रामनाथ साओ उर्फ रामनाथ साहू तथा अन्य बनाम गोबर्धन साओ तथा अन्य ए०आई०आर० 2002 एस०सी० 1201** एवं **पूनम व अन्य बनाम हरीश कुमार व अन्य 2012 (115) आर०डी० 340** में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 5 में प्रयुक्त शब्दावली पर्याप्त कारण की व्याख्या उदारतापूर्वक की जानी चाहिये, जिससे सारवान न्याय को बढ़ावा मिले। जब तक कि पक्षकार पर निष्क्रियता, उपेक्षा तथा दुर्भाव का आरोप न हो। किसी मामले में विलम्ब को क्षमा करने का पर्याप्त कारण है या नहीं, यह प्रत्येक वाद के तथ्य व परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इसी प्रकार **सैनिक सिक्योरिटी बनाम शील बाई 2008 (71) ए०एल०आर० 302 (एस०सी०)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सारवान न्याय को तकनीकी न्याय पर वरीयता दी जानी चाहिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा-5 मियाद अधिनियम में "सफीशिएन्ट कॉज़" के संदर्भ में **न्यू इण्डियन इन्श्योरेंस कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम श्रीमती शान्ती मिश्रा,** AIR **1976** SC **237** में यह स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि "सफीशेएन्ट कॉज़" के सम्बन्ध में न्यायालय को एक लिबरल ऐप्रोच लेते हुये किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिये। सफीशेएन्ट कॉज़ हेतु न्यायालय को बहुत कड़क या किसी जड़ मनोदशा के तहत इस सम्बन्ध में निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिये।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओ०पी० कथपालिया बनाम लखमीर सिंह,** AIR **1984** SC **1744** में यह स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि "ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस" विलम्ब को क्षमा किये जाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार हो सकता है। उपरोक्त वर्णित नजीरों में यह स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। ऊपर वर्णित नजीरों में यह भी स्पष्टतः अभिकथित किया गया है कि दिन-प्रतिदिन विलम्ब को स्पष्टतः व्याख्यानित विलम्ब क्षमा करने के लिये आवश्यक नहीं है। प्रस्तुत मामले की परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा अभिकथित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में यदि उपरोक्त विलम्ब को क्षमा नहीं किया गया तो उसके पक्ष में "ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस" होना सम्भावित है। उक्त परिस्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ओ०पी० कथपालिया बनाम लखमीर सिंह, AIR **1984** SC **1744** में प्रतिपादित रेशनेल के आधार पर विलम्ब क्षमा किये जाने का आधार पर्याप्त प्रतीत होता है।

इस प्रकार मामले का निस्तारण, गुण-दोष के आधार पर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये, किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुरूप है। न्याय के उद्देश्य व मामले के विधि सम्यक् निस्तारण हेतु प्रार्थी को अवसर दिया जाना न्यायोचित है, जिससे मामले का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में जो आधार व कारण प्रार्थना-पत्र 3क एवं इसके समर्थन में दिये गये शपथ पत्र में दर्शाए गये हैं, वे उचित एवं संतोषजनक प्रतीत होते हैं।

अतः उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना-पत्र 3क अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में विपक्षी की आपत्ति 10 ग में वर्णित आधार की प्रार्थी की अपील दिनाँक-14.08.2023 को दाखिल की गयी थी, जो दिनाँक-30.05.2024 को अदम पैरवी में निरस्त हो गयी थी। प्रार्थी ने अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब होने का आधार प्रार्थी संख्या-4 राम प्रसाद को जुलाई, 2024 में बैल ने दौड़ाकर गिरा दिया था, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया था और चलने-फिरने में असमर्थ हो गया था। उसके बड़े भाई सियाराम ने उसका इलाज कराया और उसकी देखभाल करते रहे, परन्तु अपील प्रस्तुत करने से दो माह पूर्व उसकी मृत्यु होना बताया है, जबकि विपक्षी आपत्ति के साथ सूची से संतोष कुमार की मृत्यु प्रमाण-पत्र दिनाँक-28.11.2021 को होने का दाखिल किया है। उक्त प्रमाण-पत्र पर प्रार्थीगण ने कोई आपत्ति नहीं की है, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संतोष कुमार की मृत्यु उपरान्त प्रार्थीगण ने अपील दाखिल की है।

माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार धारा-5 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र का निस्तारण तकनीकी आधार पर न करते हुए सारवान न्याय करते हुए उभय पक्षों को अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये और विलम्ब क्षमा करने के लिये न्यायालय को तकनीकी दृष्टिकोण नहीं, बल्कि लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये, जिससे "ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस" न हो जाये। जहाँ तक प्रतिवादीगण की आपत्ति का प्रश्न है, उसको हर्जे से समायोजित किया जा सकता है। प्रार्थिनी के प्रार्थना-पत्र 3क धारा-5 मियाद अधिनियम हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 3क अंतर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम मु० 2,000/- रु० (दो हजार रुपये) के हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तथा निगरानी दाखिल करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुए निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है। प्रस्तुत पत्रावली, निगरानी के अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक-22.04.2026 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के समक्ष पेश हो।

उभयपक्ष नियत दिनांक-22.04.2026 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के न्यायालय में उपस्थित हों।

दिनांक-03.04.2026

(विजय कुमार आजाद)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-2
सीतापुर।
JO Code No.UP 6013

Sandeepk/-

Digitally signed by VIJAY KUMAR AZAD
Date: 2026.04.04 16:46:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court, Sitapur